न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 34/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामा पुत्र भगाजी जाति देवासी उम्र 58 वर्ष, निवासी बडगांवडा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः 24.05.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 50/2015 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 एवं न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 427/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर मौजा ग्राम लापोद के खसरा नंबर 553 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 05.10.2015 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 20.11.2015 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश विरूद्ध अपील प्रथम अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नही की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नही ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये किन्तु अपीलांट को जिरह का कोई अवसर प्रदान किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी उसे माना जाता है, जिसके विरूद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला हो। अपीलाण्ट के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नही चला था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर मौजा ग्राम लापोद के खसरा नंबर 553 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं नियमानुसार जुर्माना आरोपित कर दंडित किया गया है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा ग्राम लापोद के खसरा नंबर 553 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का लापोद द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है, उक्त रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 05.10.2015 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 20.11.2015 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। उक्त दोनों ही निर्णयों से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जो नोटिस जारी अपीलांट को जारी किया गया उक्त नोटिस " अपीलांट घर पर नहीं हाजिर नहीं होने से खुले आबाद मकान पर चस्पा की गई" की रिर्पोट प्राप्त हुई। जिस पर दौ मौतबिरान के हस्ताक्षर नही है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सुमरेपुर की आदेशिका पर सादलाराम के हस्ताक्षर है, जबकि प्रकरण में अपीलांट का नाम रामा पुत्र भगा है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होने वाली 91 के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कार्यवाही का अपीलांट को कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु यह भी निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय आराजी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की बिना विधिवत तामिल करवाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये आनन–फानन में जैर अपील निर्णय पारित किया गया हैं जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। एवं तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मुकदमा संख्या 427/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2015 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 50/2015 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण के सबंध अतिक्रमी की सही जांच कर अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयो का रेकर्ड के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली